न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

वाद संख्या–85/2020
प्रार्थना पत्र प्रस्तुति दिनांक–15.12.2020
निर्णय दिनांक–09.12.2025

1. लादू पुत्र रोडू (माता घीसी) जाति नायक निवासी ग्राम डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. जगदीश पुत्र रूपलाल (माता केसर) जाति नायक निवासी डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादीगण/अप्रार्थीगण

बनाम

1. बरजी पुत्र भूरा जाति नायक निवासी ग्राम डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. रामराज पुत्र नन्दलाल जाति नायक निवासी ग्राम डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. दोलत पुत्र नन्दलाल जाति नायक निवासी ग्राम डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. मन्जू पुत्री नन्दलाल जाति नायक निवासी ग्राम डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. मनभर बेवा नन्दलाल जाति नायक निवासी ग्राम डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. मदन पुत्र बजरंगा जाति नायक निवासी ग्राम डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. गंगा पुत्री बजरंगा जाति नायक निवासी ग्राम डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
8. घासी पुत्र सुवा जाति नायक निवासी ग्राम डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
9. हरजी पुत्र सुवा जाति नायक निवासी ग्राम डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
10. हीरा पुत्र सुवा जाति नायक निवासी ग्राम डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
11. तहसीलदार पीपलू

प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण

अधिवक्ता वादीगण/अप्रार्थीगण–श्री योगेश व्यास एड0, श्री ओमप्रकाश यादव एड0

अधिवक्ता प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 05, 08, 10–श्री विवेक चौधरी एड0
श्री ईरशाद अहमद खान एड0

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 06–श्री चतुर्भुज गुर्जर एड0

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत् उद्घोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 92 ए, 188 रा.टि.एक्ट

प्रार्थना पत्र वाद खारिज किये जाने बाबत् अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी.

निर्णय

अधिवक्ता वादीगण/अप्रार्थीगण ने एक वाद बाबत् उद्घोषणा, तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया की भूमि आराजी ख0न0 314, 315, 317, 318, 320, 321, 322, 329, 361, 362, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398/2, 399/2, 401, 411/2, 587, 589, 625, 626 कुल किता 43 कुल रकबा 35–17 बीघा वाके ग्रम डारडातुर्की में स्थित है। जिसके साबिक ख0न0 233, 234, 235, 264, 265, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 288, 403, 404, 405, 406, 1673, 245, 237/2, 230/2, 242/5/1, 242/1, 242/4, 271/2 कुल किता 31 कुल रकबा 41–15 बीघा वाके ग्राम डारडातुर्की तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसका अंकन खाता संख्या 161 ग्राम डारडातुर्की तह0 टोंक हाल पीपलू जमाबंदी संवत् 2019 में वादीगण व प्रतिवादी के पूर्वज क्रमशः भूरा, गणपत, बजरंगा, सुवा व हजारी पि. श्रीकिशन कोम नायक की बहिस्सा बराबर बराबर अर्थात 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 हिस्सा तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। उक्त वर्णित साबिक आराजीयात कुल 41–15 बीघा थी। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज भूरा, गणपत, सुवा, बजरंगा व हजारी ने कुछ आराजीयात को हस्तान्तरित कर दिया था। शेष आराजीयात 35–17 बीघा भूमियां शेष रह गई थी। वादी संख्या 01 की माता घीसी व वादी संख्या 02 की माता केसर स्व. श्री गणपत की पुत्रियां थी और घीसी के वादी संख्या 01 व केसर के वादी संख्या 02 पुत्र सन्ताने है। वादीगण की माताओ घीसी व केसर के पिता स्व. श्री गणप्रत का उक्त आराजीयात में 1/5 हिस्सा था और वे उक्त 1/5 हिस्से के रिकॉर्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार थे और उक्त आराजीयात के अपने जीवनकाल मे बहैसियत मालिक, स्वामी खातेदार काबिज रहे है। गणपत के स्वर्गवास के बाद उनके हक व हिस्से की आराजीयात पर उनकी दोनो पुत्रियां घीसी व केसर बहैसियत मालिक, स्वामी के काबिज रही है तथा घीसी व केसर की मृत्यु के पश्चात अब वादीगण उक्त आराजीयात के 1/5 हिस्से पर बहैसियत मालिक, स्वामी के काबिज है। उपरोक्त आराजीयात का 1/5 हिस्सा वादीगण को उनकी माताये घीसी व केसर से प्राप्त हुई है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

इसलिए वादीगण को उपरोक्त आराजीयात के 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम अमल दरामद किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उपरोक्त आराजीयात पर वादीगण अपनी माताओ के समय से ही अपने हक व हिस्से की आराजीयात पर काबिज है, परन्तु उक्त आराजीयात का विधिवत् तकासमा नही होने से आये दिन वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में विवाद होता है। इसलिए उक्त आराजीयात में वादीगण के 1/5 हिस्से का विधिवत् तकासमा कराया जाकर वादीगण के नाम अलग से खाता कायम किया जाना आवश्यक है। वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज है, परन्तु प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो से साज करके वादीगण के पूर्वज गणपत को लाऔलाद बताकर उक्त आराजीयात के गणपत के हिस्से की भूमियो को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवा लिया है। अब प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड के गलत अंकन के आधार पर उक्त आराजीयात को रहन, दान, बेचान व अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करना चाहते है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे उपरोक्त वर्णित आराजीयात अथवा उसके किसी भू–भाग को रहन, दान, बेचान अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित/अन्तरित नही करे तथा उक्त आराजीयात या उसके किसी भू–भाग से वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करे। वादीगण के हक व हिस्से की भूमियो में उनके कब्जे काश्त में मजामहत व मदाखलत नही करे। अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् तकासमा आराजीयात पारित फरमायी जाकर ख0न0 314, 315, 317, 318, 320, 321, 322, 329, 361, 362, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398/2, 399/2, 401, 411/2, 587, 589, 625, 626 कुल किता 43 कुल रकबा 35–17 बीघा वाके ग्राम डारडातुर्की के 1/5 हिस्से का वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुरूप वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05, 08, 10 की ओर से अधिवक्ता श्री विवेक चौधरी एड0 व श्री ईरशाद अहमद खान एड0 ने वकालतनामा प्रस्तुत किया व प्रतिवादी 06 की ओर से अधिवक्ता श्री चतुर्भुज गुर्जर एड0 ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधिवक्ता वादीगण/अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 व 08, 10 की ओर से अधिवक्ता श्री विवेक चौधरी एड0 व श्री ईरशाद अहमद खान एड0 ने प्रार्थना पत्र वाद खारिज किये जाने बाबत् अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 09 हरजी का देहान्त वाद प्रस्तुती से काफी अरसा पूर्व हो चुका है। वादीगण ने मृत्तक प्रतिवादी संख्या 09 के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर विधिक त्रुटी कारित की है। इस कारण वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने योग्य है। जिस विवादित कृषि आराजीयात को लेकर वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया है। उसी कृषि आराजीयात को लेकर पूर्व में प्रस्तुत प्रकरण 25/2013 उनवानी अशोक वगै. बनाम मदन वगै. में न्यायालय हाजा द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार करते हुए दिनांक 10.05.2013 को निर्णय व डिक्री पारित की जा चुका है। जिसकी अपील

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय, टोंक में अपील संख्या 96/2018 उनवानी रामराज बनाम अशोक वगै0 विचाराधीन है। जिसकी वजह से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने विवादित आराजीयात में अपना हक हिस्सा निहित होने का कथन करते हुए खातेदारी की घोषणा चाही है, किन्तु जब तक निर्णय दिनांक 10.05.2013 अस्तित्त्व में है, वादीगण को किसी तरह का कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। किसी तरह का काई अनुतोष नही दिया जा सकता है। अगर विवादित कृषि आराजीयात में वादीगण का किसी तरह का कोई हक हिस्सा हैं, तो उन्हे दिनांक 10.05.2013 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। इस कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादीगण विधि वर्जित होने से खारिज फरमाया जावे।

वादीगण/अप्रार्थीगण ने प्रतिवादी/प्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 05, 08, 10 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद खारिज किये जाने बाबत् अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त वाद में प्रतिपक्षी संख्या 09 को जमाबंदी में अंकन के आधार पर काश्तकार बनाया गया है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 09 की मृत्यु होने की जानकारी वादीगण/अप्रार्थीगण को नही थी तथा मुताबिक जमाबंदी के पक्षकार बनाया गया है। वादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि आराजीयात को लेकर पूर्व में कोई वाद पेश नही किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में जो वाद अशोक बनाम मदन के नाम से पेश होना बताया गया है। उस वाद में वादीगण को पक्षकार नही बनाया गया है। इस कारण उक्त वाद वादी के हितो पर लागू नही होता है। अशोक बनाम मदन वाद पेश करते समय तथ्य छुपाकर यह वाद पेश किया गया है, जो गलत है तथा वादीगण के हितो के प्रति निष्प्रभावी है। ऐसी स्थिती में उक्त प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। पूर्व प्रकरण में प्रार्थी/वादी को उक्त वाद में पक्षकार नही बनाया गया तथा वादी अपना हक प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र है। ऐसी स्थिती में यह वाद पेश किया है, जो सही है। पूर्व में वादीगण को पक्षकार नही बनाने के कारण अप्रार्थीगण के हितो पर कोई प्रभाव नही पडता है। इस कारण जो प्रार्थना पत्र प्रतिपक्षी द्वारा पेश किया गया है, जो चलने योग्य नही है। बल्कि खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिपक्षी द्वारा उक्त वाद को लम्बित करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिससे वाद लम्बित हो तथा न्यायालय का समय बर्बाद न हो। ऐसी स्थिती में उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष ने बहस का निवेदन किया। अधिक्ता प्रतिवादीण/प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि उक्त उनवानी प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 09 हरजी का देहान्त वाद प्रस्तुति से पूर्व हो चुका है। वादीगण ने मृत्तक प्रतिवादी संख्या 09 के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर विधिक त्रुटी कारित की है। जिस विवादित कृषि आराजीयात को लेकर वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया है। उसी कृषि आराजीयात को लेकर पूर्व में प्रस्तुत प्रकरण 25/2013 उनवानी अशोक वगै. बनाम मदन वगै. में न्यायालय हाजा द्वारा प्रस्तुत

उप खण्ड अधिकारी
दीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

वाद स्वीकार करते हुए दिनांक 10.05.2013 को निर्णय व डिक्री पारित की जा चुका है। जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय, टोंक में अपील संख्या 96/2018 उनवानी रामराज बनाम अशोक वगै0 विचाराधीन है, अप्रार्थीगण/वादीगंण को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, टोंक में विचाराधीन प्रकरण में ही चाराजोही करनी चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने विवादित आराजीयात में अपना हक हिस्सा निहित होने का कथन करते हुए खातेदारी की घोषणा चाही है, किन्तु जब तक निर्णय दिनांक 10.05.2013 अस्तित्व होने के फलस्वरूप वादीगण को हस्तगत प्रकरण में किसी तरह का कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। अगर विवादित कृषि आराजीयात में वादीगण का किसी तरह का कोई हक हिस्सा है, तो उन्हे दिनांक 10.05.2013 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। इस कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि वाद वादीगण विधि वर्जित होने से खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता वादीगण/अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद में प्रतिपक्षी संख्या 09 को जमाबंदी में अंकन के आधार पर काश्तकार बनाया गया है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 09 की मृत्यु होने की जानकारी वादीगण/अप्रार्थीगण को नही थी तथा मुताबिक जमाबंदी के पक्षकार बनाया गयां है। वादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि आराजीयात को लेकर पूर्व में कोई वाद पेश नही किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में जो वाद अशोक बनाम मदन के नाम से पेश होना बताया गया है। उस वाद में वादीगण को पक्षकार नही बनाया गया है। इस कारण उक्त वाद वादी के हितो पर लागू नही होता है। अशोक बनाम मदन वाद पेश करते समय तथ्य छुपाकर यह वाद पेश किया गया है, जो गलत है तथा वादीगण के हितो के प्रति निष्प्रभावी है। वादी अपना हक प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र है। जिसके लिए वाद पेश किया है। जो प्रार्थना पत्र प्रतिपक्षी द्वारा पेश किया गया है, जो चलने योग्य नही है, बल्कि खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिपक्षी द्वारा उक्त वाद को अनावश्यक ही लम्बित करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिससे वाद लम्बित हो तथा न्यायालय का समय बर्बाद न हो। प्रार्थना पत्र सारहीन व निरर्थक है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद खारिज किये जाने बाबत, जवाब प्रार्थना पत्र, न्यायिक दृष्टांत एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। उक्त आराजीयात को लेकर पूर्व में एक अन्य वाद बाबत् उद्घोषणा, तकासमा तथा स्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 25/2013 बउनवानी अशोक बनाम मदन वगै. का दिनांक 10.05.2013 को निर्णय पारित किया जा चुका है, जो अपीलीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक में बउनवानी राजराज वगै. बनाम अशोक वगै., प्रकरण संख्या 96/2018 जेरकार है। चूंकि वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद व पूर्व वाद संख्या 25/2013 बउनवानी अशोक बनाम मदन वगै. समान प्रकृति एवं समान आराजी को लेकर ही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समान प्रकृति तथा

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

समान आराजीयात के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2013 द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है। इस कारण नये वाद में रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता हैं तथा अपील लंबित होने पर नया वाद मेण्टेबल नही होता है। ऐसी स्थिती में हितबद्ध पक्षकार का अपील में पक्षकार बनना ही उचित उपाय है। वादी/अप्रार्थी अपीलीय न्यायालय में पक्षकार बनकर चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद खारिज किये जाने बाबत् अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र वाद खारिज किये जाने बाबत् अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार होने के फलस्वरूप वाद वादीगण खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं दफ्तर दाखिल हो।

(गणराज बडगोती आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पीपलू (टोंक) (राज0)